लोक सभा

मंगलवार, 8 मार्च, 2011/17 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं)*

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जिसे समूचे विश्व में महिलाओं द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

यह दिन हमें आत्म-विश्लेषण का अवसर प्रदान करता है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हम महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के अपने प्रयासों में कितने सफल रहे हैं। दुर्भाग्य से, हम समाज में विरोधाभास की स्थिति पाते हैं। एक तरफ तो जहां हम जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों पर गौरवान्वित महसूस करते हैं, वहीं दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या, सम्मान के लिए हत्या, दहेज हत्या और महिलाओं के विरुद्ध अन्य अपराधों का पीड़ादायक कलंक भी हमारे ऊपर है । अतएव, हमें महिलाओं के अधिकारों और उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए पुनः समर्पित होने की आवश्यकता है।

यद्यपि महिलाओं को समता और उन्मुक्ति प्रदान करने के संबंध में समाज के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है, तथापि हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने विकास संबंधी कार्यसूची और नीतियों में महिलाओं के सशक्तिकरण को अन्तर्भूत प्राथमिकता प्रदान करें

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2011 की विषय-वस्तु है, ''शिक्षा, प्रशिक्षण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना तथा उनके लिए शालीन कार्य का मार्ग प्रशस्त करना।'' यह विषय-वस्तु हमारे द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों में प्रतिबिम्बित होती है।

आइए इस अवसर पर हम सभी सामूहिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के चिर काल से संजोए हुए लक्ष्य को जीती जागती वास्तविकता में परिणत करने के प्रति पुनः समर्पित हों।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : महोदया, प्रश्न सं. 161। सार्वजनिक वितरण प्रणाली....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : वहां बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं।....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, आप हपले मेरी बात सुन लीजिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। जीरो आवर में हम आपकी बात सुनेंगे।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, हम आपकी बात शून्य प्रहर में सुन लेंगे।

....(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम आपके निर्देश का पूरा पालन करेंगे।....*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, दो मिनट बात सुन ली जाए। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अभी प्रश्न काल चलने दीजिए। प्रश्न काल कल भी नहीं चल पाया, आज चलने दीजिए।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मेरा अनुरोध है कि आप आज प्रश्न काल चलने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हम शून्य प्रहर में आपकी बात अवश्य सुनेंगे।

....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : क्या आप एक मिनट के बाद प्रश्न काल चलाएंगे, प्रश्न काल को भंग नहीं करेंगे, किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे?

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप एक मिनट में अपनी बात कहिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप लोग शान्त हो जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : राजा रामपाल जी, आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं गृह मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। कल मुझे जिस तरह अपमानित करने की साजिश की गई, उसमें आपने और गृह मंत्री जी ने मिलकर हमारा का फी अपमान बचाया। कल नहीं बल्कि बहुत पहले से यानी 10,11,12 फरवरी को ऐलान हो गया था कि उत्तर प्रदेश में जनता के कुछ सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी, आन्दोलन करेगी।

वह पूर्व घोषित आंदोलन था, लेकिन मैं आंदोलन भी नहीं कर रहा था। मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी पता चला कि हमारे दरवाजे पर पुलिस आ गयी, पीएसी आ गयी, डीआईजी आ गया, डीएम आ गया। हमारे घर के दरवाजे को पूरा बैरीकेटेड कर दिया। मैं कहीं से भी नहीं निकल सकता था। आपने टीवी में देखा होगा कि किस तरह किया गया था। जब आपका और गृह मंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ, तब उसे किस तरह हटाया गया। हमें अपने घर में ही बंद कर दिया गया। हमारे बाहर आकर डीआईजी और डीएम से कहा, टेलीफोन पर भी कहा कि मैं घर पर बैठा हूं, तो वह हट गया। मैं अभी किंगफिशर के जहाज से दिल्ली जा रहा हूं। अध्यक्ष जी, आपको मैंने तत्काल अपने अंदर के दफ्तर से, क्योंकि मेरे घर के कार्यालय में कर्मचारियों को भी नहीं आने दिया, तो मैंने खुद अपने हाथ से लिखकर आपको फैक्स किया। आपने उस समय हमारी मदद की, गृह मंत्री जी ने भी मदद की। उसके बाद बैरीकेट थोड़ी हटी, लेकिन बैरीकेट हटने के बाद भी पुलिस हमारे घर को चारों तरफ से घेरकर खड़ी हो गयी।

अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि मैं और अखिलेश दोनों सदन में आ रहे थे। किंगफिशर एयरलाइन्स से पता लगा लीजिए कि हम दोनों का रिजर्वेशन था। हम सुबह यहां आकर सदन में उपस्थित होना चाहते थे। सबसे पहली बात यह है कि हमें सदन में नहीं आने दिया गया, सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। हमारा सदन में हिस्सा लेने का जो विशेष अधिकार था, उससे मुझे रोका गया। कल रेलवे बजट पर भी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी। इटावा से मैनपुरी तक हमारा लगातार यह प्रयास चल रहा है कि वहां किसी तरह रेलवे लाइन बिछ जाए। हिन्दुसतान में अकेला मैनपुरी ही इससे वंचित रह गया है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात हो गयी है, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, वह हमारा महत्वपूर्ण सवाल था। उससे मुझे रोका गया।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप प्रश्न काल चलायें। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम रेवले बजट पर भी अपनी बात नहीं कह सके। कल रेल बजट पास हुआ है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अब आप प्रश्न काल चलाने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : मैं इसे देख लूंगी! मैं इसे दिखलाऊंगी, यह मैंने कल भी कहा था।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, वहां के डीएम, डीआईजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।....*(व्यवधान)* हम आपसे अपील करना चहाते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करें।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप क्यों खड़े हो गए हैं?

....(व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : अध्यक्ष महोदया, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? गृह मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें।....*(व्यवधान)* जिन अधिकारियों ने यह काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपने कहा था कि प्रश्न काल चलायेंगे।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : किसी भी माननीय सदस्य की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

....(व्यवधान)★

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 161, डॉ. एम. तम्बिदुरई

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उठाना

†

★161. **डॉ. एम. तम्बिदुरई :**
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्त्योदय अन्न योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन वितरण के लिए उन्हें आवंटित खाद्यान्नों का निर्धारित कोटा उठाने में असमर्थ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को आवंटित कोटे तथा उनके द्वारा उठाए गए खाद्यान्न की राज्य–वार और श्रेणी–वार मात्रा क्या है;

(ग) क्या खाद्यान्न जारी किए जाने में विलम्ब से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्नों को समय पर जारी किया जाना और खाद्यान्नों के उठान में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के. वी. थॉमस) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अप्रैल–दिसम्बर, 2010 के दौरान खाद्यान्नों के सामान्य आवंटन की तुलना में कुल मिलाकर गरीबी रेखा से नीचे के लिए 98.2% अंत्योदय अन्न योजना के लिए 94.9% और गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए 83.1% खाद्यान्न उठाया गया है। सरकार ने जनवरी, मई और सितम्बर, 2010 तथा जनवरी, 2011 में खाद्यान्नों के विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन भी किए हैं। जनवरी, मई और सितम्बर, 2010 में खाद्यान्नों में किए गए आवंटनों की तुलना में खाद्यान्नों का उठान 26% से 53% के बीच रहा है । जनवरी, 2011 में किए गए आवंटनों के मामले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जून, 2011 तक खाद्यान्न उठाने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2010–11 (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन 54% खाद्यान्न उठाया गया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान तथा 2009–10 और 2010–11 के दौरान किए गए विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन के राज्य–वार ब्यौरे अनुबंध–I से III में दिए गए हैं। कम उठान मुख्यतः अन्य बातों के साथ–साथ अतिरिक्त आवंटन को खपाने की समस्या, कुछ राज्यों द्वारा वहन की जा रही अतिरिक्त राजसहायता, भारतीय

★कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खाद्य निगम के कुछ डिपुओं में कम स्टाक मौजूद रहने के कारण सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त आवंटन में हुआ है।

(ग) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में कम स्टाक होने के कारण आवंटित खाद्यान्नों को जारी करने में हुए विलम्ब के बारे में कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं पर्याप्त मात्रा में रेल रेक्स ने मिलने के कारण भारतीय खाद्य निगम इन राज्यों को खाद्यान्नों की समय से ढुलाई करने में समस्या का सामना कर रहा है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए गए आवंटनों के उठान को बढ़ाने और इसमें सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। वर्ष के आरंभ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का वार्षिक आवंटन किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम में आवंटित खाद्यान्न उठाने की अनुमति दी जाती है। केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता के आधार पर और राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं। वैधता अवधि बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध पर शीघ्रता से विचार किया जाता है। पर्याप्त रेल रेक्स प्रदान करने का मुद्दा भी समय–समय पर रेलवे के साथ उठाया गया है।

भारत सरकार सम्मेलन, समीक्षा बैठकें आयोजित करके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों का उठान करने सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की नियसिमत रूप से समीक्षा भी करती रही है।

अनुबंध–।

वर्ष 2007–2008 और 2008–2009 के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007–08						2008–09					
		आवंटन			उठान			आवंटन			उठान		
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	गरेनी	अंअयो	गरेऊ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.09	654.29	2,178.45	1,104.53	698.40	1,835.02	1.052.09	654.29	1,871.31	1,035.66	644.57	1,852.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.52	15.97	62.05	18.01	10.86	47.14	25.52	15.97	60.06	25.31	15.86	49.89
3.	असम	475.47	295.45	574.61	480.80	298.03	616.97	745.22	295.69	635.34	473.79	295.01	632.04
4.	बिहार	1,719.80	1,019.99	28.24	744.97	872.40	8.00	1,719.80	1,019.99	218.33	738.80	772.50	17.73
5.	छत्तीसगढ़	472.69	301.94	50.78	438.53	308.14	33.96	485.69	301.94	150.07	472.69	301.94	31.12
6.	दिल्ली	125.87	45.91	576.40	128.71	39.36	533.52	108.70	63.08	420.77	88.36	53.16	420.23
7.	गोवा	5.46	6.11	20.61	5.43	5.04	19.39	5.46	6.11	24.79	5.46	5.36	23.14
8.	गुजरात	524.47	332.18	273.39	486.16	293.57	102.76	486.47	340.08	215.49	445.35	340.75	70.87
9.	हरियाणा	208.57	122.82	120.53	197.85	116.99	1.33	208.57	122.82	272.10	197.59	112.24	77.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	हिमाचल प्रदेश	133.148	2.74	261.62	123.53	80.02	252.51	133.14	82.74	247.30	125.08	83.70	251.62
11.	जम्मू और कश्मीर	201.70	107.39	514.51	201.49	107.71	436.85	201.70	107.39	467.72	204.56	111.22	454.50
12.	झारखंड	653.40	352.09	52.24	491.57	323.04	12.54	619.98	385.54	60.44	505.61	367.10	10.65
13.	कर्नाटक	770.38	503.89	1,372.76	762.89	484.19	658.63	798.86	503.89	730.59	799.82	503.73	647.73
14.	केरल	402.35	250.26	532.00	402.41	250.89	497.50	402.35	250.26	512.00	402.46	250.59	467.89
15.	मध्य प्रदेश	1,028.81	652.66	125.55	1,024.31	629.10	101.33	1,068.22	664.26	353.21	1,147.92	655.13	182.42
16.	महाराष्ट्र	1,682.63	1,021.67	176.38	1,412.70	866.00	120.66	1,709.42	1,034.88	421.48	1545.76	902.62	258.56
17.	मणिपुर	47.17	22.57	37.93	45.27	21.45	34.43	43.01	26.72	36.68	37.27	22.91	37.86
18.	मेघालय	47.38	29.48	63.56	46.05	28.98	59.73	47.38	29.48	67.42	48.02	29.74	67.97
19.	मिजोरम	17.64	10.92	56.49	19.49	11.62	54.00	17.64	10.92	54.35	15.44	10.07	49.79
20.	नागालैंड	32.11	19.97	78.81	32.49	21.43	77.18	32.11	19.97	74.80	34.38	21.25	83.13
21.	उड़ीसा	1,165.57	531.12	203.38	1,004.95	457.08	165.49	1,165.57	531.12	170.09	1,159.27	531.95	135.13
22.	पंजाब	131.12	65.41	83.49	70.51	37.81	50.87	121.18	7536	466.त्र38	104.23	46.53	354.57
23.	राजस्थान	592.53	391.49	290.95	536.05	367.39	239.83	629.53	391.49	343.60	614.18	377.56	289.06
24.	सिक्किम	11.30	6.94	27.55	11.30	6.94	28.11	11.30	6.94	25.98	12.12	6.94	25.54
25.	तमिलनाडु	1,259.23	783.14	2,805.51	1,265.54	794.61	1,652.47	1,259.23	783.14	1,640.6	1,349.83	827.17	1,629.14
26.	त्रिपुरा	77.96	45.94	139.31	81.59	41.25	127.10	76.38	47.52	151.10	77.80	48.88	141.34
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.70	1,719.48	65.51	2,495.95	1,667.59	52.23	2,765.70	1,719.48	440.67	2,456.51	1,608.78	190.05
28.	उत्तराखंड	145.66	63.52	132.37	133.14	55.63	95.28	145.66	63.52	153.08	12.75	55.07	127.31
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.58	621.68	847.94	1,340.00	531.52	780.49	1,553.58	621.68	856.68	1,381.67	512.81	824.04
30.	अंडमान और निकोबार	5.04	1.80	22.40	3.33	1.30	13.44	5.04	1.80	22.50	4.01	1.45	10.92
31.	चंडीगढ़	2.94	0.89	0.30	3.05	1.21	0.12	3.01	0.82	1.80	2.98	0.53	0.00
32.	दादरा और नगर हवेली	4.52	2.20	5.09	4.50	1.94	4.01	4.52	2.20	1.43	4.52	2.20	1.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	दमन व दीव	1.04	0.64	1.02	0.29	0.18	0.23	1.04	0.64	0.69	0.24	0.10	0.09
34.	लक्षद्वीप	0.71	0.46	3.66	0.97	0.63	3.76	0.76	0.49	3.36	0.76	0.49	2.46
35.	पुडुचेरी	21.58	13.55	30.69	10.61	6.54	5.52	21.58	13.55	3.24	12.61	4.76	1.56
	जोड़	17,365.14	10,096.55	11,816.06	15,128.97	9,438.81	8,722.40	17,405.37	10,195.77	11,175.29	15,655.78	9,524.64	9,420.38

वर्ष 2009–2010 और 2010–2011 (दिसम्बर, 2010 तक) के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन और उठान

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007–08						2008–09					
		आवंटन			उठान			आवंटन			उठान		
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	गरेनी	अंअयो	गरेऊ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.09	654.29	2,177.87	1,025.60	624.84	1,876.25	789.07	490.72	1,525.56	783.51	483.81	1,310.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.52	15.97	60.06	24.65	15.52	59.38	19.14	11.96	45.05	15.53	9.23	35.49
3.	असम	475.22	295.69	715.05	472.79	294.94	632.50	356.42	221.77	703.33	350.78	219.70	622.75
4.	बिहार	1,719.80	1,019.99	697.69	1,128.74	917.65	227.63	1,269.57	785.28	615.94	1,161.33	743.45	294.37
5.	छत्तीसगढ़	485.69	301.94	304.32	483.30	297.85	224.67	364.27	226.46	291.64	366.47	217.88	271.42
6.	दिल्ली	108.70	63.08	420.77	83.29	51.46	442.52	81.52	47.31	318.23	72.81	38.19	351.79
7.	गोवा	5.46	6.11	35.14	5.46	5.58	34.26	4.10	4.58	47.66	4.56	4.53	32.32
8.	गुजरात	481.97	340.08	796.44	436.23	309.73	279.50	412.78	255.06	763.26	430.89	256.12	491.32
9.	हरियाणा	208.57	122.82	649.08	194.96	111.56	195.15	156.43	92.12	271.29	157.91	92.04	198.01
10.	हिमाचल प्रदेश	133.14	82.74	281.59	125.31	81.90	254.61	99.86	62.06	223.89	89.11	63.84	219.15
11.	जम्मू और कश्मीर	201.70	107.39	447.72	198.38	100.64	459.84	151.27	80.54	336.09	151.29	80.84	343.67
12.	झारखंड	619.96	385.54	306.30	585.28	377.56	75.45	464.97	289.15	245.25	424.10	276.63	78.93
13.	कर्नाटक	810.38	503.89	853.22	823.56	512.89	755.74	607.79	377.92	725.42	612.60	356.80	678.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	केरल	402.35	250.26	649.00	402.44	249.11	581.90	301.76	187.70	583.03	316.21	196.41	551.94
15.	मध्य प्रदेश	1,068.22	664.26	1,298.39	1,326.16	743.10	884.17	801.16	498.20	682.75	840.82	423.49	518.98
16.	महाराष्ट्र	1,709.42	1,034.88	1,765.06	1,600.57	953.67	1,021.77	1,282.07	776.16	1,354.35	1,249.26	719.78	853.47
17.	मणिपुर	43.01	26.72	47.41	48.23	28.79	45.09	32.26	20.04	57.31	9.53	6.69	16.17
18.	मेघालय	47.38	29.48	70.42	46.97	29.26	69.08	35.53	22.11	85.02	33.25	21.63	57.22
19.	मिजोरम	17.64	10.92	54.35	16.14	9.62	49.92	13.23	8.19	31.19	12.33	7.41	27.34
20.	नागालैंड	32.11	19.97	77.47	34.81	22.64	77.09	24.08	14.98	56.10	26.13	16.17	66.49
22.	पंजाब	121.18	75.36	1,017.38	112.25	50.17	825.10	90.88	56.52	445.83	86.37	38.17	372.84
23.	राजस्थान	629.53	391.49	924.44	627.41	384.71	907.22	472.15	293.62	790.85	478.81	292.16	697.95
24.	सिक्किम	11.30	6.94	25.98	11.30	7.00	25.91	8.48	5.20	19.51	7.98	5.13	19.28
25.	तमिलनाडु	1,259.23	783.14	1,725.46	1,214.76	781.25	1,955.10	944.42	587.36	1,260.34	960.26	591.85	1,258.36
26.	त्रिपुरा	76.38	47.52	178.10	74.00	48.24	156.94	57.29	35.64	134.09	55.86	32.50	99.08
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.70	1,719.48	2,554.71	2,633.11	1664.27	2.517.64	2,074.28	1,289.61	1,904.56	2,000.41	1,258.07	1,710.57
28.	उत्तराखंड	145.66	63.52	226.83	147.67	62.89	197.92	108.27	48.61	205.54	110.91	46.07	172.72
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.58	621.68	1,141.28	1,469.78	509.15	1,166.36	1,165.19	466.26	1,099.56	1,145.20	372.40	995.52
30.	अंडमान और निकोबार	5.12	1.80	25.04	3.01	1.35	14.13	4.01	1.35	20.16	2.05	0.79	10.79
31.	चंडीगढ़	3.57	0.62	21.60	3.45	0.19	21.64	2.82	0.47	20.70	0.03	0.01	0.08
32.	दादरा और नगर हवेली	4.52	2.20	2.16	1.51	0.73	0.73	3.77	1.65	2.07	0.03	0.01	0.08
33.	दमण व दीव	1.04	0.64	2.64	0.49	0.27	0.59	0.78	0.48	2.53	0.14	0.05	0.11
34.	लक्षद्वीप	0.76	0.50	3.36	0.76	0.50	2.45	0.57	0.38	2.52	0.00	0.05	2.09
35.	पुडुचेरी	21.56	13.55	18.50	16.89	8.94	6.48	16.17	10.16	16.10	15.19	9.80	11.77
	जोड़	17.413.03	10.195.58	19,994.09	16,545.42	9,794.36	16,062.90	13,090.50	7,667.94	15,288.78	12,849.09	7,274.45	12,698.10

अनुबंध–II

वर्ष 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 और 2010–2011 (दिसम्बर, 2010 तक) के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन और उठान को बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य	2007–08		2008–09		2009–2010		2010–11	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान (दिसम्बर, 2010 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	306.540	310.970	461.207	325.673	439.134	415.510	387.934	176.505
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.510	10.040	12.390	1.793	17.431	1.053	4.831	0.394
3.	असम	192.270	168.290	115.553	49.693	80.244	63.522	109.999	68.37
4.	बिहार	309.590	166.820	247.502	161.419	287.447	234.715	251.465	165.466
5.	छत्तीसगढ़	176.670	153.170	192.984	64.427	180.719	21.161	157.048	25.412
6.	दिल्ली	23.830	16.470	37.360	15.901	42.927	26.167	37.392	22.669
7.	गोवा	2.610	1.190	4.365	1.365	5.799	3.301	5.608	3.237
8.	गुजरात	171.590	148.070	177.987	169.701	176.499	166.179	166.013	127.541
9.	हरियाणा	74.690	50.400	35.913	26.339	56.927	31.930	70.503	39.041
10.	हिमाचल प्रदेश	34.980	27.090	34.115	28.774	32.684	30.169	26.893	22.569
11.	जम्मू और कश्मीर	39.490	25.570	31.618	22.914	32.034	28.967	26.144	20.075
12.	झारखंड	108.780	73.060	112.792	75.005	97.622	93.023	115.150	76.504
13.	कर्नाटक	296.110	277.250	284.917	174.954	272.466	179.914	253.646	122.716
14.	केरल	87.060	114.850	82.074	70.311	98.195	125.022	100.374	65.593
15.	मध्य प्रदेश	363.660	292.190	329.750	285.190	370.545	348.544	421.528	348.628
16.	महाराष्ट्र	341.670	356.230	364.920	272.121	427.230	349.064	642.667	252.224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	18.150	9.790	8.709	4.852	19.379	8.779	26.903	6.174
18.	मेघालय	18.070	17.720	13.852	13.527	14.258	19.780	12.395	8.027
19.	मिजोरम	12.770	4.680	7.062	5.013	5.940	4.805	7.067	4.482
20.	नागालैंड	17.410	19.110	26.249	24.299	30.486	31.983	23.088	20.994
22.	पंजाब	66.000	62.410	67.139	50.833	41.176	43.128	53.641	43.082
23.	राजस्थान	267.500	360.520	145.453	146.453	151.415	145.238	209.792	128.543
24.	सिक्किम	3.370	2.730	2.674	2.442	2.925	2.737	3.148	2.03
25.	तमिलनाडु	228.820	229.600	198.107	191.477	152.875	1844.209	188.991	170.754
26.	त्रिपुरा	19.610	18.980	23.729	17.029	19.695	10.722	24.054	19.925
27.	उत्तर प्रदेश	838.260	467.820	570.513	442.004	508.149	478.493	550.946	395.686
28.	उत्तराखंड	53.010	45.410	41.594	23.043	39.966	21.408	28.796	15.78
29.	पश्चिम बंगाल	207.340	172.010	273.088	168.689	280.730	178.361	346.605	119.083
30.	अंडमान और निकोबार	0.700	1.820	1.828	1.200	2.228	1.486	0.980	0.624
31.	चंडीगढ़	1.380	2.030	2.331	1.150	2.071	0.896	1.622	0.931
32.	दादरा और नगर हवेली	0.840	0.050	1.580	0.000	1.509	0.022	1.213	0
33.	दमन व दीव	0.260	0.070	0.388	0.081	0.448	0.092	0.450	0.06
34.	लक्षद्वीप	0.190	0.180	0.206	0.033	0.269	0·066	0·269	0
35.	पुडुचेरी	1.400	0.960	2.871	2.152	2.675	1.632	2.350	0.969
	जोड़	4545.820	3825.090	4135.743	3090.508	4211.101	3534.233	4543.826	2694.183

★वर्ष 2008–09 के दौरान अन्य कल्याण योजना के अधीन कुल 41.41 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन किया गया था।

तथापि, गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम स्कीम के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आगे 0.05 लाख टन आवंटित नहीं किया गया।

नोट : किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम के अधीन गुजरात राज्य को वर्ष 2008–09 में 10000 टन मक्का और वर्ष 2009–10 में 7650.86 टन मक्का का अतिरिक्त आवंटन किया गया था।

अनुबंध–III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	20.1.2010 को अंअयो/गरेनी/ गरेऊ के लिए आवंटन		19.5.2010 को अंअयो/गरेनी/ गरेऊ के लिए आवंटन		7.9.2010 को गरेनी के लिए आवंटन		6.1.2011 को गरेऊ के लिए आवंटन		6.1.2011 को गरेनी के लिए आवंटन	
		आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान @	आवंटन	उठान @
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	316.42	125.56	268.96	3.00	155.79	85.03	255.22	2.92	155.79	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.84	0.00	4.11	1.34	3.80	0.00	3.10	0.00	3.80	0.00
3.	असम	89.86	23.24	196.38	87.94	70.40	65.07	57.67	14.24	70.40	0.00
4.	बिहार	237.58	0.00	201.94	26.88	250.11	70.02	116.26	0.00	250.11	0.00
5.	छत्तीसगढ़	88.22	50.37	149.97	149.24	71.89	71.08	55.05	40.69	71.89	35.37
6.	दिल्ली	55.64	21.80	47.29	45.69	15.68	5.38	51.51	0.00	15.68	0.00
7.	गोवा	6.40	0.00	5.44	0.00	1.84	1.84	5.90	0.00	1.84	0.00
8.	गुजरात	175.14	9.03	148.87	14.13	81.29	67.37	144.06	0.00	81.29	3.54
9.	हरियाणा	62.96	15.42	53.52	17.68	30.25	9.01	51.21	6.67	30.25	5.31
10.	हिमाचल प्रदेश	25.14	6.04	21.37	21.08	19.71	12.74	16.13	0.71	19.71	0.00
11.	जम्मू एवं कश्मीर	36.04	32.26	30.63	30.61	28.22	0.00	23.14	0.00	28.22	0.00
12.	झारखंड	87.12	0.00	74.05	6.81	91.79	15.23	42.59	0.20	91.79	0.00
13.	कर्नाटक	188.74	73.69	160.43	72.37	119.87	111.61	136.92	0.00	119.97	15.56
14.	केरल	122.20	8.24	153.87	129.90	59.58	59.06	98.89	2.63	59.58	3.05
15.	मध्य प्रदेश	194.06	0.00	164.95	68.87	158.16	0.00	121.08	0.00	158.16	0.00
16.	महाराष्ट्र	353.54	0.00	301.36	116.80	250.53	124.53	242.96	0.00	250.53	3.32
17.	मणिपुर	8.14	6.47	6.92	0.00	6.37	3.74	5.23	0.00	6.37	0.00
18.	मेघालय	8.98	2.34	7.63	1.84	7.02	0.40	5.77	0.00	7.02	0.44
19.	मिजोरम	3.34	3.34	5.68	2.84	2.61	2.61	2.15	0.00	2.61	2.61
20.	नागालैंड	6.04	1.82	10.27	10.27	4.76	4.76	3.86	2.90	4.76	1.19
22.	पंजाब	79.52	5.69	115.45	0.00	126.45	70.78	75.82	0.00	126.45	0.00
23.	राजस्थान	177.34	46.64	301.48	205.98	93.21	67.50	139.70	23.33	93.21	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
24.	सिक्किम	2.10	0.94	2.29	2.29	1.65	0.72	1.35	0.07	1.65	0.00
25.	तमिलनाडु	277.64	258.36	235.99	146.49	186.46	186.46	195.77	0.00	186.46	66.91
26.	त्रिपुरा	14.44	0.00	12.27	0.00	11.31	8.78	9.27	0.00	11.31	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	522.83	0.00	12.27	0.00	11.31	8.78	9.27	0.00	11.31	0.00
28.	उत्तराखंड	24.38	0.00	20.72	4.04	19.09	3.40	15.65	0.00	19.09	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	290.46	228.99	246.89	224.68	198.58	44.25	202.82	1.66	198.58	0.00
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.62	0.00	1.38	0.21	1.07	0.36	1.15	0.00	1.07	0.00
31.	चंडीगढ़	4.06	0.00	3.45	0.72	0.88	0.20	3.91	0.55	0.88	0.00
32.	दादरा और नगर हवेली	0.72	0.72	0.61	0.61	0.69	0.679	0.39	0.00	0.69	0.00
33.	दमन व दीव	0.51	0.30	0.00	0.00	0.13	0.12	0.48	0.00	0.13	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.22	0.22	0.19	0.00	0.12	0.12	0.17	0.00	0.12	0.00
35.	पुडुचेरी	4.48	0.41	3.81	0.31	3.22	0.67	3.04	0.00	3.22	0.00
	जोड़	3607.54	921.86	3470.18★	1631.18	500.00	1161.51	2500.00	122.44	25.00.00	142.08

★ 30.66 लाख टन आवंटन में से कुछ राज्यों को किया गया पुनः आवंटन शामिल है।

★★ 28.2.2011 के अनुसार स्थिति 6.3.2011 तक उठान की अनुमति है।

@ 28.2.2011 के अनुसार स्थिति जून, 2011 तक उठान की अनुमति है

डॉ. एम. तम्बिदुरई : अध्यक्ष महोदया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचालन राज्य और केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और ढुलाई तथा थोक आबंटन आदि की जिम्मेदारी ली है। जब ऐसा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि गरीबी रेख से नीचे के परिवारों को खाद्यान्नों की आपूर्ति में कोई हेराफेरी न हो....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पूर्वाह्न 11.08 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अब अपनी–अपनी सीटों पर वापस आइये। मुलायम सिंह जी, आप इन्हें वापस बलाइये।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले आप सब अपनी अपनी सीटों पर वापस जाइये।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपने–अपने स्थान पर वापस जाइये।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह गलत है। आपको मैंने बोलने का समय दे दिया, फिर भी आप प्रश्न काल नहीं चलने दे रहे। आप सब अपनी–अपनी सीटों पर वापस जाइये।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप पहले वापस जाइए। फिर मुझ से बात कीजिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)*★

पूर्वाह्न 11.09 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न काल चलाने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सब शांत हो जाइये।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप शिष्टाचार का निर्वहन कीजिए। मैं खड़ी हूं, इसलिए आप बैठ जाइये।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप शिष्टाचार का निर्वहन कीजिए। आप सब बैठ जाइये। मुलायम सिंह जी, आप भी बैठ जाइये। मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया। आपने कहा था कि उसके बाद प्रश्न काल चलेगा, इसलिए अब प्रश्न काल चलाने दीजिए। प्रश्न काल भी किसी का विशेषाधिकार है।

....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आप नाराज मत होइये।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं और आज के दिन तो हो ही नहीं सकते।

★कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

....*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, आप हमारे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार करें।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री तम्बिदुरई के भाषण के अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)*★

डॉ. एम. तम्बिदुरई : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि जनवरी, मई और सितम्बर, 2010 में किए गए अतिरिक्त आवंटन की तुलना में उठान 26 प्रतिशत से 53 प्रतिशत के बीच रही है।

उन्होंने यह भी कहा है कि जनवरी, 2011 में किए गए आवंटन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, इन आवंटन को उठाने के लिए जून, 2011 तक की छूट दी गई है।

वर्ष 2010–11 (दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों की उठान 54 प्रतिशत रही है....*(व्यवधान)*

हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न गरीबों को दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*। हमारी प्रणाली में हम देखते हैं कि त्यौहारों के दौरान गरीबों को सस्ती दर की बात पर खाद्यान्न मिलें। हम यही कर रहे हैं।....*(व्यवधान)* उत्तर के अनुसार कुछ राज्यों ने 100 प्रतिशत तक खाद्यान्न उठाए हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। मैं यह नहीं समझ पाया कि कुछ राज्य खाद्यान्न क्यों नहीं उठा सके।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं समझती हूं कि यह बात अब समाप्त हो गई है। मंत्री महोदया अब जवाब देंगे।

....*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई : अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी तक प्रश्न तैयार नहीं किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। प्रश्नकाल चलने दीजिए।

★कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह यादव जी, आपने अपनी पूरी बात विस्तार से बता दी है। हम इसकी पूरी जांच करवा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हम इसको ठीक से दिखवा रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)*★

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री उत्तर दें।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय कृपया अपना उत्तर दीजिए।

....*(व्यवधान)*

प्रो. के. वी. थॉमस : हमने बहुत से राज्यों को सामान्य आवंटन किया है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदया उत्तर दे रहे हैं।

....*(व्यवधान)*

प्रो. के. वी. थॉमस : कुल उठान लगभग 83 से 98 प्रतिशत रही है। लेकिन कुछ राज्यों, विशेषकर विशेष तदर्थ आवंटन के अंतर्गत गेहूं और चावल के आवंटन में 100 प्रतिशत उठान नहीं की है और यह केवल 30 से 40 प्रतिशत तक है।....*(व्यवधान)* लेकिन हम राज्य सरकारों से संपर्क बनाए हुए हैं। पिछले माह हमने मुख्यमंत्रियों तथा उन राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ चार क्षेत्रीय बैठकें की हैं।....*(व्यवधान)* उन बैठकों में हमने राज्य सरकारों से विशेष तदर्थ आवंटन के अंतर्गत खाद्यान्नों की उठान के लिए विशेष दिलचस्पी लेने का अनुरोध किया है।....*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई : उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ राज्यों ने उनको आवंटित पूरा खाद्यान्न उठा लिया है जबकि कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया है।....*(व्यवधान)*

कुछ राज्य जिन्होंने खाद्यान्न उठाया है वे उचित रूप से उसका वितरण नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में जिसने खाद्यान्न उठाए हैं–खाद्यान्नों का वितरण उचित रूप में नहीं हो रहा है।....*(व्यवधान)* राशन की दुकानों पर लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।....*(व्यवधान)* वे पड़ोसी राज्यों तथा अन्य देशों में भी खाद्यान्न ले जा रहे हैं।....*(व्यवधान)* विगत वर्ष एक शिकायत आई थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बांटे जाने वाले खाद्यान्न कुछ लोगों द्वारा बाहर ले जाए गए और तूतीकोरीन पोर्ट में गोदामों में रखे गए।...*(व्यवधान)* फिर, उन्हें मालद्वीव ले जाया गया। शिकायत हमारे नजर में आई।.... *(व्यवधान)* केन्द्र सरकार खाद्यान्न खरीद रही है और उसे राज्य सरकारों को दे रही हैं लेकिन राज्य सरकारें सही ढंग से उनका वितरण नहीं कर रही है। इसके बजाय खाद्यान्नों की अन्य राज्यों में तस्करी हो रही है। ....*(व्यवधान)* में माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है।....*(व्यवधान)*

मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं। राशन की दुकानों में वे केवल खाद्यान्न ही नहीं बल्कि सौंदर्य प्रसाधन जैसे साबुन, तेल आदि बेच रहे हैं।....*(व्यवधान)* उपभोक्ता शिकायत करते हैं कि उन्हें इन सामानों को खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। ....*(व्यवधान)* राज्य सरकारें उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के बजाय ऐसी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री खरीदने के लिए क्यों बाध्य कर रही हैं?....*(व्यवधान)* तमिलनाडु में उपभोक्ता ऐसी शिकायतें कर रहे हैं।....*(व्यवधान)* केंद्र सरकार क्या कर रही है?.....*(व्यवधान)* क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस प्रकार की गतिविधियां नहीं चलाने को कहा है?

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने का आश्वासन दे दीजिए। संसद की अवमानना हुई है।....*(व्यवधान)*

★कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह यादव जी, आपने अपनी बात कह ली है, हमने उसे सुन लिया है। इसके पहले आपके कागज भी आ गए हैं। हम उसे दिखवा रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर हम निर्णय करेंगे।

श्री दारा सिंह चौहान : सारी रिपोर्ट आ गई है।

अध्यक्ष महोदया : इसके अलावा हम आपसे ऑफिस में भी बात कर लेंगे। अब आप अपना–अपना स्थान ग्रहण करें और प्रश्न काल सुचारू रूप से चलने दें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थॉमस : महोदया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार राज्यों को आवंटित खाद्यान्न उनको उपलब्ध कराती है तथा राज्य सरकारों को उन्हें वितरित करना होता है।

महोदया, तमिलनाडु के मामले में सामान्य पी.डी.एस. में खाद्यान्नों की उठान शत प्रतिशत तक होती है और विशेष आवंटन के मामले में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन प्रश्न खाद्यान्नों का है, जिसे राज्यों को आवंटित किया जाता है और राज्य उसमें से कुछ अनाज अवैध रूप से दूसरी जगह भेज देते है। इसलिए यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान राज्यों को खोजना होगा। लेकिन भारत सरकार लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में है। हाल ही में चार क्षेत्रीय बैठकें हुई हैं और 3 तारीख को त्रिवेंद्रम में हुई पहली क्षेत्रीय बैठकें, जिसमें तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधि भी उपस्थित था, में हमने इन सभी मुद्दों को उनके सामने रखा था। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें आवश्यक कार्रवाई करेंगी, जिससे कि इन राज्यों को आवंटित अनाज अन्यत्र न भेजा जा सके।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती जया प्रदा–उपस्थित नही हैं।

....(व्यवधान)

श्री पबन सिंह घाटोवार : माननीय मंत्री के अपने उत्तर में उत्तर–पूर्व राज्यों द्वारा प्राप्त अभ्यावदेन के बारे में उल्लेख किया है। महोदया, उत्तर–पूर्व राज्यों में एक बड़ी समस्या यह है कि वहां मानसून के मौसम में नियमित रूप से बाढ़ आती है। उत्तर–पूर्व क्षेत्र में भंडार बहुत कम हो जाते हैं और राज्य सरकारों के लिए दूर–दराज के लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने की उनकी प्रतिबद्धता को पूरा करना बहुत कठिन हो जाता है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं? माननीय मंत्री ने रेल रैक की कमी का भी उल्लेख किया है। उत्तर–पूर्व के राज्यों के लिए यह समस्या सदैव बनी रहती है। इसलिए में माननीय मंत्री जी से समुचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, जिससे उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लोगों को बाढ़ के समय, जो उत्तर–पूर्व क्षेत्र की नियमित समस्या है, कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

प्रो. के. वी. थॉमस : महोदया, उत्तर–पूर्व के राज्यों पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। उत्तर–पूर्व के राज्यों के सामने आ रही समस्याओं पर विचार करने के लिए विगत 14 तारीख को कोलकाता में खाद्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। यह सत्य है कि उत्तर–पूर्व राज्यों में खाद्यान्न विवरण के लिए रैक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। मैं रेल मंत्रालय को दोष नहीं देता क्योंकि उनकी भी कुछ बाधाएं हैं। लेकिन हमारे पास एक तंत्र मौजूद है, जो चल रहा है और इसके माध्यम से भारतीय खाद्य निगम तथा रेल विभाग बराबर संपर्क में है तथा स्थिति पर नजर रखे हुए है। इसी प्रकार हमने उत्तर–पूर्व के लगभग सभी 7 राज्यों के भारतीय खाद्य निगम की गोदामों की भंडारण सुविधा बढ़ा दी है, जिससे कि 5.25 लाख टन की क्षमता का सृजन हो रहा है। हमने चांगसारी में 50,000 मी. टन क्षमता की, हैला मंडी में 5000 तथा तूरा में 2500 मी. टन की क्षमता वाले गोदामों के निर्माण के निर्देश दिए हैं।

सेनापटी के भंडागार की क्षमता 5000 मी. टन, जीरीमाम की 2500 मी. टन तथा पासीघाट की 2500 मी. टन और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 20,000 मी. टन की क्षमता है। इस समय भंडार की स्थिति बहुत अच्छी है।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने खुद ही स्वीकार किया है कि 26 परसेंट से 53 परसेंट तक का ऑफटेक होता है। मैडम, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि झारखंड में जहां 25 से 28 परसेंट एपीएल का अनाज उठाया जाता है, वहीं दिल्ली में 100 प्रतिशत एपीएल का अनाज उठाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि

हम सारे सांसद एपीएल का अनाज खाते हैं, दिल्ली के सारे कॉरपोरेट जगत के लोग एपीएल का अनाज खाते हैं, दिल्ली के सारे पेज–3 के लोग एपीएल का अनाज खाते हैं, तभी तो यह 100 परसेंट एलोकेशन है। मैडम, आप मायापुरी में चले जाइये, वहां पर ओपनली एफसीआई गोदाम के बाहर खाद्यान्न बिकता है। कोई भी चावल की फैक्ट्री वाला हो या आटा मिल वाला हो, एफसीआई के गोदाम से माल उठाकर अपनी फैक्ट्री में सीधा ले जा सकता है। माननीय मंत्री जी बताएं कि क्या दिल्ली का हर नागरिक, चाहे कॉरपोरेट जगत का हो या आम आदमी हो, वह एपीएल का अनाज ही खाता है या इसमें पूरे का पूरा घोआला है? साथ ही क्या एफसीआई मायापुरी से सारा अनाज आटा मिलों और राइस मिलों में चला जाता है? माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें।

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थॉमस : दिल्ली में वितरण प्रणाली का जिम्मा राज्य सरकार पर है। दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम दिल्ली सरकार की मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी है मैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दूंगा। *....(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, हम विशेष रूप से इसे देख लेंगे।

....(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : इनके सवाल का जवाब नहीं आया है।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिये, मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

प्रो. के. वी. थॉमस : इस प्रश्न के उत्तर के आरंभ में, मैंने कहा था कि केंद्रीय सरकार की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की है, जो हम पूरी कर रहे हैं। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री खगेन दास : एफ सी आई द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषतः त्रिपुरा में खाद्यान्नों की आपूर्ति में कमी हमेशा बनी रहती है। त्रिपुरा सरकार ने एफ सी आई से मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात मार्च, 2011 तक खाद्यान्न का तीन महीने के लिए 'बफर स्टॉक' जमा करने का अनुरोध किया है। एफ सी आई ने इसकी सहमति दे दी है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में रेल और सड़क द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता है। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार सामान्य मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात मार्च 2011 तक तीन महीने के लिए एफ सी आई की सहमति के अनुसार बफर स्टाक बनाने के लिए खाद्यान्नों की परिवहन समस्या और भंडारण क्षमता में वृद्धि पर तुरंत ध्यान देगी?

प्रो. के. वी. थॉमस : मैं पहले ही बता चुका हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषतः त्रिपुरा के मामले में, पहले ही भंडारण क्षमता में 29180 मीट्रिक टन तक की वृद्धि की जा चुकी है।

हम राज्य सरकारों के सहयोग से और भंडारण क्षमता का निर्माण कर रहे हैं।

महोदया, जहां तक बफर स्टाक का संबंध है, हम लगभग प्रतिदिन सभी दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर में स्थिति पर नजर रख रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है और इस बारे में हम अत्यंत सावधान हैं।

अपराधों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निदेश

†

★162. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महिलाओं तथा बच्चों के दुर्व्यापार सहित उनके प्रति अपराध के अनेक मामलों का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आ योग ने इस प्रकार के मामलों की जांच करने तथा पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में महिलाओं तथा बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों का मुकाबला करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिनांक 01.04.2007 से 31.01.2011 तक की अवधि के दौरान दुर्व्यापार सहित महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन/उनके प्रति अपराध के संबंध में 23608 शिकायतें दर्ज की हैं। इन मामलों में से, 23254 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 354 मामले विचारार्थ लंबित हैं। इसी अवधि के दौरान, आयोग ने बच्चों के मानवाधिकारों के उल्लंघन/उनके प्रति अपराध से संबंधित 1917 शिकायतें भी दर्ज की हैं। इन मामलों में से, 1779 मामलों का निपटान कर दिया गया है और 138 मामले विचारार्थ लंबित हैं।

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार के संबंध में एक कार्रवाई अनुसंधान किया था। कार्रवाई अनुसंधान के आधार पर, एन एच आर सी ने एक कार्य–योजना तैयार की थी और उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था। इसके पश्चात, इसने गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मानव दुर्व्यापार को रोकने एवं इसका दमन करने के संबंध में एक एकीकृत कार्य योजना तैयार की थी।

(घ) महिलाओं के मानवाधिकारों के सिद्ध उल्लंघनों के 39 मामलों में आयोग ने 35,25,000/– रुपए की मौद्रिक राहत की सिफारिश की। बच्चों के मानवाधिकारों के सिद्ध उल्लंघन के 19 मामलों में आयोग ने 54,27,000/– रुपए की मौद्रिक राहत की सिफारिश की थी।

(ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध सहित, अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण, जांच–पड़ताल और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, केंद्र सरकार, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की रोकथाम और नियंत्रण के मामलों को अत्यधिक महत्व देती है। गृह मंत्रालय ने दिनांक 4 सितंबर, 2009 और 14 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत सलाहें भेजी हैं जिनमें उन्हें, अन्य बातों के साथ–साथ, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा के दोषी पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एवं निवारक दण्ड देने हेतु समुचित उपाय करने, जांच–पड़ताल की गुणवत्ता को सुधारने, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों की जांच में होने वाली देरी को कम करने, जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने, पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना करने और काल सेन्टरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कदम उठाए जाने की सलाह दी गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 'महिला प्रकोष्ठ' स्थापित कर लिए हैं। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी जिला स्तरों पर ''समस्त महिला पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन स्तर पर महिला/बाल सहायता डैस्क'' स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय ने भी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यक्तियों के दुर्व्यापार के विरुद्ध भारत में विधि प्रवर्तन कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक योजना भी स्वीकृत की है जिसमें संपूर्ण देश में 335 मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों (ए एच टी यू) की स्थापना करने और तीन वर्षों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टी ओ टी) के माध्यम से 10,000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को 110 मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों की स्थापना करने के लिए पहली किस्त के रूप में 8.72 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। सभी राज्यों को निधियां प्राप्त हो गई हैं।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : महोदया, यह शायद संयोग ही है कि आज विश्व महिला दिवस है और जब प्रत्येक व्यक्ति महिलाओं के अधिकारों के बारे में सोच रहा है, मुझे देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के बारे में प्रश्न पूछना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस संबंध में बहुत अधिक चिंतित है।

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में सरकार द्वारा पहले ही

उठाए जा चुके कदमों की एक लंबी सूची दी है। लेकिन, इन सब बातों के बावजूद, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को अब भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह तथ्य है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों का केंद्र बन चुकी है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि छात्राएं और महिला कर्मचारी, विशेषतः पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाली, महिलाएं ऐसे अपराधों की आसान शिकार हो जाती हैं? इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, उन्होंने कहा है कि मानव दुर्व्यापार निरोध इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्यों को निधियां दी जा चुकी हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या राज्यों को भेजी गई यह राशि उपयोग की जा चुकी है और उसका क्या परिणाम रहा है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, यह उत्तर अत्यंत विस्तृत है। जहां तक मानव दुर्व्यापार (निरोधक कार्रवाई) का संबंध है, देशभर में ऐसी 355 इकाइयां स्थापित करने की योजना है। सभी राज्यों को धन दिया जा चुका है और यह राज्यों को जारी किया जा चुका है। उनमें मानव दुर्व्यापार निरोधक इकाइयों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है और हमें आशा है कि कुछ समय पश्चात सभी 355 इकाइयां कार्य करना आरंभ कर देंगी।

महोदया, वस्तुतः दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक गंभीर मामला है। मैंने कुछ समय पहले प्रश्नों के उत्तर दिए थे जब विशिष्ट रूप से दिल्ली में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में प्रश्न पूछा गया था। यही कारण है कि हमने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है। अनेक सुझाव दिए गए हैं। वे राज्य सरकारों के साथ–साथ संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली द्वारा भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं और आपने आज सुबह के समाचारपत्रों में देखा होगा कि दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों से पिछले कुछ महीनों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी आई है।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : महोदया, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यौन अपराधों के विरुद्ध बाल सुरक्षा विधेयक के बारे में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केंद्रीय मंत्री मंडल (कैबिनेट) ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है और क्या इसे इसी सत्र में सभा के समक्ष रखा जाएगा? इस विधेयक के मुख्य उपबंध क्या हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भी कोई उपबंध है और क्या सबूत की जिम्मेदारी आरोपी पर है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, मैं समझता हूं कि यह विधेयक महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लाया जा रहा है, अतः मैं इस विधेयक की विषय वस्तु के बारे में अधिक नहीं जानता। परंतु अपने मित्र से निश्चित रूप से पता लगाऊंगा कि क्या इस विधेयक को संसद के इसी सत्र में लाया जायेगा। यह विशिष्ट प्रश्न है। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा और उत्तर दूंगा....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री बैजयंत पांडा की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....(व्यवधान)★

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वैजयंत पांडा : इस विस्तृत उत्तर के लिए मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं लेकिन हमें इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, माननीय मंत्री ने बताया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गत चार वर्ष के लिए औसत रूप से प्रतिवर्ष 6,000 से कम मामले दर्ज किए हैं। लेकिन हम भारत सरकार के स्रोतों और अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से जान पाये हैं कि प्रतिवर्ष लगभग तीस लाख महिलाएं प्रभावित होती हैं।

यदि आप इसके केवल एक उपखंड को देखें तो देश में प्रतिवर्ष 5,000 से 7,000 के बीच नेपाली लड़कियों का दुर्व्यापार किया जाता है और देश में लगभग 2,50,000 ऐसी नेपाली लड़कियां हैं। यह केवल एक छोटा–सा उपखंड है। यह इस तथ्य से संयोजित हो जाता है कि स्वयं हमारे देश की अपनी त्रासदी के अलावा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी नियमित रूप से हमारी बदनामी होती रहती है; अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां लगातार अपनी रिपोर्टों में कहती रहती हैं कि भारत के प्रयास अपर्याप्त हैं। उदाहरण के

★कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए, अमेरिका जैसे देशों ने महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के लिए हमें टियर–II निगरानी सूची में रखा हुआ है।

माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के प्रकाश में, मैं उठाए गए कदमों की प्रशंसा करता हूं लेकिन में इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि ये अपर्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा है कि 110 दुर्व्यापार–रोधी केंद्रों के लिए 8.72 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और यह केवल एक–तिहाई है। लेकिन, यह राशि पूरी होने के बाद भी यह केवल 25 से 26 करोड़ रुपए बैठती है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह हमारे देश जैसे बड़े देश के लिए अपर्याप्त नहीं है? क्या इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले के लिए ज्यादा कदम नहीं उठाए जा सकते है और ज्यादा निधियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकती?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को यही राशि जारी की गई है। स्पष्टतः, राज्यों को अपने संसाधनों से और राशि जुटानी होगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि आठ करोड़ रुपए से कुछ अधिक की यह राशि कम है और यदि हम 355 इकाइयां स्थापित करने के लिए मूल राशि भी देते हैं तो यह 25 करोड़ रुपए अथवा 30 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। लेकिन मुझे पूरी उममीद है कि राज्य सरकारें भी दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाएंगी।

[हिन्दी]

श्री जयवंत गंगाराम आवले : अध्यक्ष महोदया, मुझे आपने एक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। क्या मानवाधिकार आयोग ने महिला तथा बाल दुर्व्यापार के मामलों का महाराष्ट्र राज्य में आकलन किया है? क्या राज्य का जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध है? दुर्व्यापार के पीड़ितों को महाराष्ट्र में कितनी संख्या में मुआवजा दिया गया है तथा उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, जैसा कि मैंने अपने उत्तर, विशेषकर प्रश्न के भाग 'ग' के उत्तर में कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक महत्वाकांक्षी अध्ययन कराया है और इसे भारत में महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार पर कार्रवाई अनुसंधान कहा गया है।

यह एक बहुत विस्तृत योजना है। वास्तव में, मेरे पास उस योजना की एक प्रति है जो 30 पृष्ठों की है। उस योजना का सारांश मैं आपको बता रहा हूं। यह योजना पांच शीर्षों के तहत विषय का विश्लेषण करती है, पहला क्रॉस–कटिंग इश्यूज है; दूमसरा दुर्व्यापार को रोकना है; तीसरा पीड़ितों और बच जाने वालों की सुरक्षा से जुड़ा है, चौथा शोषण करने वालों और अन्य पर अभियोग चलाना तथा पांचवां, आई.टी.पी.ए. में प्रस्तावित परिवर्तन हैं।

ये एक लंबे समय से क्रियान्वित की जा रही है। बड़ी संख्या में सलाह दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं बहुत से मामलों पर कार्रवाई कर रहा है और उसके पास आर्थिक राहत देने के आदेश देने के अधिकार हैं। उत्तर के भाग 'घ' में, हमने आर्थिक राहत के बारे में बताया है जिनके आदेश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार हनन साबित हो चुके मामलों में तथा बाल अधिकारों के हनन के मामलों में दिए हैं।

अब, महाराष्ट्र को इस धन में से कितना गया है, इसका ब्यौरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं वह ब्यौरा प्राप्त करके माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह : महोदया, मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की है। मेरे द्वारा दिसंबर, 2009 में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय दिलाने से संबंधित प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं तथा इसे दूर करने तथा महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ढेर उपाय जैसे महिला थाना, महिला जज, महिला वकील, राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करने की चर्चा की थी। उनके जवाब को एक साल से ज्यादा बीत गया है और हमें यह अफसोस है महिलाओं की हालत आज भी जस से तस बनी हुई है। आज भी हमें टीवी या समाचार पत्र में कहीं चलती कार में, सुनसान रास्ते पर या पुलिस थाने में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना देखने को मिलती है। नाबालिग बच्चों से घर में नौकर का काम करवाया जाता है, मामूली सी गलती पर बेरहमी से पिटाई ही नहीं की जाती बल्कि आंखें तक फोड़ दी जाती हैं और गर्म सलाखों से दागा जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर से गृह मंत्री जी का बेहद सम्मान करती हूं

और उन्हें कुशल प्रशासक मानती हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कब तक इस देश में महिलाओं की इज्जत सरेआम लूटी जाती रहेगी? कब तक उन्हें जिंदा जलाया जाता रहेगा? बच्चे कब तक बचपन खोते रहेंगे? कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, गृह मंत्री जी कब तक यह कहकर महिलाओं एवं बच्चों का शोषण और दोहन देखते रहेंगे? मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वह राज्य सरकारों को सिर्फ एडवाइजरी ही जारी करते रहेंगे या कोई ठोस कदम उठाकर महिलाओं एवं बच्चों को सुशासन और सुकून की जिंदगी देंगे तथा इज्जत–आबरू महफूज रखेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, निश्चित तौर पर मैं इस मामले में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को कम नहीं करना चाहता। इस बात को सुनिश्चित करने में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को रोकें और यदि ऐसे अपराध होते हैं तो अपराधियों को सजा मिले।

माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा था, तब से लेकर आज तक सरकार ने इस संबंध में क्या किया है। हमने परामर्श जारी किए हैं जो स्पष्ट तौर पर राज्य सरकारों को निर्देश है कि जो कानून बने हैं उनके अनुसार कार्रवाई करें। लेकिन कृपया यह याद रखें कि हम सभी किसी न किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून और व्यवस्था बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत राज्य के अधिकार की रक्षा करने में तत्पर हैं। 'कानून–व्यवस्था' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सरकार के विषय हैं। इसलिए जब हम उन अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं।....*(व्यवधान)*

मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, कृपया सुनिये। चिल्लाने का क्या मतलब है? मैं केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को कम करके नहीं बता रहा हूं या कम नहीं कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं सादर आपसे मेरी बात सुनने का आग्रह करता हूं कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, कानून–व्यवस्था और अपराध के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों को जाता है। जब हम कहते हैं कि राज्य अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में ....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : दिल्ली के बारे में बताएं।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं दिल्ली पर चर्चा करने वाला हूं, हम दिल्ली को नहीं छोड़ रहे हैं। हम सभी कभी–न–कभी केंद्र सरकार में रहे हैं, दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य दिल्ली के बारे में नहीं पूछ रही हैं; वे सभी राज्यों के बारे में पूछ रही हैं। वह केवल दिल्ली की महिलाओं के बारे में ही चिंतित नहीं हैं। वे पूरे देश के बच्चों और महिलाओं के बारे में पूछ रही हैं। इसलिए, मैं इस विषय को गंभीरता से ले रहा हूं।

मानवाधिकार आयोग बहुत सक्रिय है। मानवाधिकार आयोग इन मामलों को ले रहा है और हजारों मामलों का निपटारा कर रहा है। आर्थिक राहत दी जा रही है। मैंने इस बारे में आंकड़े दिए हैं। कोई भी ऐसी अवधि मुझे बताइये जब मानवाधिकार आयोग ने 35,25,000 रुपये मुआवजा दिया हो और 23,254 मामले निपटाए हों।

बात यह है कि हम जितना कर सकते हैं, कर रहे हैं। मैं और अधिक काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें जब मैं और तत्परता से काम करूं और, और सख्त भाषा में पत्र लिखूं। लेकिन मुद्दा पहली जिम्मेदारी का है। वे जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते जो जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और हमें मुख्यमंत्रियों और राज्यों के गृह मंत्रियों को काननू का पालन कराने के लिए दृढ़ता से कहना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदया : श्री नामा नागेश्वर राव।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम, क्या हम लोगों से नाराजगी है, हम लोगों ने भी एक क्वेश्चन पूछने की रिक्वेस्ट की है।

श्री नामा नागेश्वर राव : मैडम स्पीकर, इंडिया में ट्रैफिकिंग, डाउरी डैथ्स, ऑनर किलिंग के साथ–साथ अभी महिलाओं पर एसिड अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह से कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ विक्टिम्स लाइफलांग सफर कर रहे हैं।

[अनुवाद]

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि महिलाओं पर एसिड से हमले से संघटित मामलों में और सख्त सजा का प्रावधान करने के लिए क्या सरकार दंड प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन करना चाहेगी?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदया, जहां तक दंड संहिता के बारे में मेरी जानकारी है, महिलाओं पर एसिड फेंकने की घटना को दंड संहिता की वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जो भारतीय दंड संहिता की 'घोर उपहति' की श्रेणी में और अधिक गंभीर धारा में आता है। मेरी समझ में 'घोर उपहति' को भा. दं. सं. की धारा 325 के अंतर्गत रखा गया है। एसिड फेंकने संबंधी अपराध से निपटने के लिए भा. दं. सं. में बहुत से प्रावधान हैं। मुझे याद है कि एक सुझाव आया था कि एसिड फेंकने के अपराध को एक विशिष्ट अपराध माना जाना चाहिए और इस पर विचार किया जा रहा है। हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन, मैं समझता हूं कि कानून के मौजूदा प्रावधान एसिड फेंकने के अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त हैं और धारा 325 के अंतर्गत कठोर सजा दी जा सकती है।. ...*(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह : जी हां, दस वर्ष की सजा.... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मेरे विद्वान मित्र ने यह बताकर मेरी मदद की है कि इसके लिए 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

वाणिज्यिक परिसरों का आवंटन

★166. **श्री बाल कुमार पटेल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली सहित विभिन्न सरकारी कालोनियों में वाणिज्यिक परिसरों/दुकानों को पट्टे/उप–पट्टे पर आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के परिसरों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्वरूप और बेचे जाने वाले उत्पादों के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवंटियों द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में चूककर्ताओं के खिलाफ की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सौगत राय) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) शहरी विकास मंत्रालय के तहत संपदा निदेशालय दिल्ली और नई दिल्ली को छोड़कर विभिन्न सरकारी कॉलोनियों में पट्टा (लीज) आधार पर वाणिज्यिक परिसरों/दुकानों का आवंटन करता है। जहां तक दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित सरकारी कालोनियों का संबंध है, उक्त कॉलोनियों में वाणिज्यिक परिसरों/दुकानों जोकि विगत में शहरी विकास मंत्रालय के अधीन थी, को दिनांक 01.04.2006 से ''जहां है जैसी है'' के आधार पर स्थानीय निकायों यानी दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(ख) वर्तमान में संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय के तहत वाणिज्यिक परिसरों/दुकानों के ब्योरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान दिशा निर्देशों में स्थानीय/नगर निगम प्राधिकरणों के उप नियमों के तहत व्यापार/व्यवसाय चलाने की अनुमति है। इसका अनुपालन आवधिक निरीक्षणों/जांच द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

(ङ) संपदा निदेशालय के तहत वाणिज्यिक परिसरों/दुकानों से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नलिखित अनुसार हैं :

वर्ष	मामलों की संख्या जिनमें चूककर्त्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई
2008	शून्य
2009	शून्य
2010	3
2011 (28.02.2011)	शून्य

अनुबंध

वर्तमान में संपदा निदेशालय के तहत सरकारी कॉलोनियों में वाणिज्यिक परिसरों/दुकानों के ब्यौरे

शहर का नाम	स्थान/सरकारी कालोनी का नाम	कॉलोनियों में वाणिज्यिक परिसरों/दुकानों की संख्या
फरीदाबाद	एन एच–IV फरीदाबाद	47 दुकानें
हैदराबाद	गाची बाउली	12 दुकानें
मुंबई	काणे नगर	32 दुकानें
	एसएम प्लाट 14	38 दुकानें
	एकता विहार	14 दुकानें
गाजियाबाद	कमला नेहरू नगर	08 दुकानें
बंगलुरु	एच एस आर ले आउट	04 दुकानें
कोलकाता	संतरागाछी, हावड़ा	16 दुकानें
	आईसी ब्लाक, साल्ट लेक	06 दुकानें
	डोवर लेन, कोलकाता	मदर डेरी का एक मिल्क बूथ
	निजाम पैलेस, कोलकाता	मदर डेरी का एक मिल्क बूथ
	टाली गंज, कोलकाता	मदर डेरी का एक मिल्क बूथ
	मर्लिन पार्क, कोलकाता	मदर डेरी का एक मिल्क बूथ
	ली रोड, कोलकाता	मदर डेरी का एक मिल्क बूथ
	के सी ब्लाक साल्ट लेक	मदर डेरी का एक मिल्क बूथ
	के सी ब्लाक साल्ट लेक	मदर डेरी का एक मिल्क बूथ
	गरचा, कोलकाता	मदर डेरी का एक मिल्क बूथ
	निजाम पैलेस, कोलकाता	एक टेलीफोन बूथ
	निजाम पैलेस, कोलकाता	एक एटीएम बूथ
शिमला	फागली	03 दुकानें
	समर हिल	03 दुकानें
	फागली	03 दुकानें
	समर हिल	02 प्लाट
लखनऊ	आकांक्षा परिसर जानकीपुरम	08 दुकानें

[हिन्दी]

श्री बाल कुमार पटेल : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कालोनियों में पट्टे पर दी गई दुकानों से उन कालोनियों के निवासियों को किस प्रकार के उत्पाद बेचे जायेंगे, पटटे पर देते समय किस प्रकार के उत्पाद लाइसेंस हैं? इसके जवाब में मंत्री जी ने हां कहा है। परंतु बार–बार उन दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करके जो कार्य किये जाते हैं, सेवा–शर्तों को नहीं माना जाता है, उदाहरणास्वरूप हम नॉर्थ एवेन्यू को ही ले लें। वहां जो फल, जूस और सब्जियां बेचने के लिए दुकानें अलॉटेड हैं, उनमें मोबाइल शॉप्स चल रही हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिस दुकान का आबंटन जिस प्रकार की सेवा करने के लिए किया गया है, वही उत्पाद उस आबंटित दुकान से बेचा जायेगा, कृपया मंत्री जी ताने का कष्ट करें।

प्रो. सौगत राय : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को पता होगा कि अभी दिल्ली की हर कालोनी की दुकान हमने एनडीएमसी और एमसीडी को ट्रांसफर कर दी है। वर्ष 1 अप्रैल, 2006 से हर दुकान एनडीएमसी या एमसीडी के अधीन हे। लेकिन जब नॉर्थ एवेन्यू का सवाल पूछा गया है तो मैं बताना चाहता हूं कि 2008 में एक भी नोटिस फॉर वॉयलेशन ऑफ नॉन–पेमेन्ट के लिए इश्यु नहीं किया। 2009 में दो, 2010 में पांच और 2011 में निल। लेकिन कानून ऐसा है कि जो व्यापर के लिए लाइसेंस चाहिए, वे एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यापार है जिसमें लाइसेंस नहीं चाहिए। कोई भी फूड स्टफ बेचना है तो लाइसेंस चाहिए। लेकिन वह मोबाइल बेचे या बिस्किट्स बेचे, उसके लिए अलग लाइसेंस नहीं चाहिए।

किसी की इच्छा हो तो वे एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री बाल कुमार पटेल : महोदया, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्देशों में आवंटन पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि आबंटी के मृत या किसी अन्य कारण से आबंटन निरस्त होने पर नये सिरे से खुली प्रक्रिया द्वारा ही आबंटन करके कार्य सम्पादित किया जाये। मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इस आदेश का अनुपालन न करते हुए आबंटी के बाद उसके परिवार के व्यक्ति अवैधानिक रूप से काबिज हैं। क्या सरकार ऐसे अवैधानिक कब्जा धारकों की पहचान करके नये सिर से उक्त दुकानों का आबंटन कराने की कृपा करेगी और कब तक करेगी?

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं माननीय सदस्य का यह सवाल नहीं समझा कि वे कहां के बारे में कह रहे हैं? जैसा मैंने बताया कि अभी दिल्ली की दुकानें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं, डायरेक्टर ऑफ एस्टेट्स के अधीन नहीं हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई और माननीय सदस्य कोई उदाहरण देंगे, कोई एग्जाम्पल देंगे तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। हमारे मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं।

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरकारी कालोनियों में पट्टे पर जमीन देकर छोटा–मोटा रोजगार करने के लिए एक अवसर मिलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अगर गरीब आदमी को कहीं छोटा–मोटा रोजगार चलाने के लिए जगह मिल जाती है तो वह समझता है कि उसकी लाटरी खुल गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इसमें अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को, विधवाओं को या सिंगल वुमेन को भी आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करेंगे?

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि जब यह केंद्रीय सरकार के अधीन था, वर्ष 1996 में हमारी जो पॉलिसी फोर एलॉटमेंट ऑफ शॉप्स एंड स्टॉल थी, उसमें एस.सी., एस. टी. के लिए 22.5 प्रतिशत और हैंडीकैप के लिए 3 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया था और अभी भी वह आरक्षण दुकानों पर चालू है।

श्री अशोक अर्गल : महोदया, जैसा अभी माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है, मैं इसमें अपनी बात जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि दिल्ली और अन्य शहरों में भी कई दुकानें सौंप दी जाती हैं, कई आवास परिसर भी दिये जाते हैं, लेकिन देखने में यह महसूस नहीं होता कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जानजाति वर्ग के लोगों को इतने आवास दिये गये हैं। क्या इसमें आप कोई ऐसी नयी व्यवस्था बनाएंगे कि उनको इसका लाभ मिले?

प्रो. सौगत राय : महोदया, यह सवाल दुकानों से संबंधित है। आप जो हाउसिंग के बारे में कह रहे हैं, हाउसिंग के अलग मंत्री हैं, वे इसके बारे में जवाब दे सकते हैं।....*(व्यवधान)* हम तो केवल दुकानों के बारे में कह सकते हैं।....*(व्यवधान)*

श्री अशोक अर्गल : दुकान भी आपने मुंबई में 84 ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब कुछ नहीं। प्रश्न संख्या 164–श्री चंद्रकांत खैरे।

[अनुवाद]

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन

★164. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने देश में केबल सेवा के पुनर्गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है.

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने, ''केबल टीवी सेवाओं का पुनर्गठन'' पर अपनी सिफारिशों में देश में केबल टीवी नेटवर्क के पुनर्गठन हेतु एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। इसने सिफारिश की है कि केबल टीवी ऑपरेटरों की मौजूदा पंजीकरण प्रणली को एक लाइसेंसिंग ढांचे से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उसने बहुप्रणाली प्रचालकों (एमएसओ) को केबल टीवी ऑपरेटरों से एक अलग संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से उनके लिए एक पृथक् लाइसेंसिंग प्रावधान की भी सिफारिश की है। स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) तथा बहुप्रणाली प्रचालकों हेतु प्रस्तावित लाइसेंसिंग ढांचे में एलसीओ अथवा एमएसओ लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पात्रता संबंधी मापदंड, सेवा क्षेत्र, लाइसेंस प्राधिकरण, लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया, नवीनीकरण प्रक्रिया, अंतरण प्रक्रिया, शिकायत निदान तंत्र, बिलिंग प्रक्रिया, सेवा की गुणवत्ता आदि शामिल हैं। विस्तृत सिफारिशें ट्राई के वेबसाइट (www.trai.in) पर उपलब्ध हैं ये सिफारिशें मंत्रालय के विचाराधीन हैं। अपनी सिफारिशों में, ट्राई ने एनालॉग केबल ऑपरेटरों को डिजिटल केबल ऑपरेटरों के रूप में पूर्ण रूप से अन्तरित करने के लिए समय–सीमा का निर्धारण किए जाने का प्रस्ताव भी किया है। तथापि, ''भारत में डिजिटल संबोधनीय केबल प्रणाली का कार्यान्वयन'' संबंधी अपनी तदनंतर सिफारिशों में ट्राई ने यह सिफारिश की है कि डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणली में अंतरण को चार चरणों में एनालॉग केबल टीवी सेवाओं हेतु 31 दिसंबर, 2013 तक अंतिम तारीख के रूप में कार्यान्वित किया जाए। मंत्रालय ने, ट्राई की सिफारिशों से सहमत होते हुए, कार्य की व्यापकता के मद्देनजर समय–सीमा का दिनांक 31 मार्च, 2015 तक विस्तार करते हुए मामूली रूप से आशोधित समय–सारणी का प्रस्ताव किया है। ट्राई ने दिनांक 23 फरवरी, 2011 के अपने प्रत्युत्तर में भारत में डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणालियों के कार्यान्वयन हेतु संशोधित समय–सारणी की सिफारिश की है जिसमें अंतिम चरण हेतु समय–सीमा को 30 जून, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय इस मामले में अंतिम राय कायम करने की प्रक्रिया में है।

ट्राई ने, ''केबल टीवी सेवाओं का पुनर्गठन'' पर अपनी सिफारिशों में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन हेतु सिफारिशें भी की हैं, जिनमें से कुछ सिफारिशें महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संबंधी प्रस्ताव के सदृश हैं। केबल अधिनियम में संशोधन करते हुए लाइसेंसिंग ढांचे को स्थापित करने के संबंध में जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा, तो उस समय राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदया, जो भी केबल और डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, उनकी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी

क्षेत्रों में मोनोपोली होती है। मैं यही कहूंगा कि दूरदर्शन अपना केंद्र है, अपना टीवी सेंटर है। दूरदर्शन सिर्फ देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो दिखता ही है, लेकिन बाकी के केबल चैनल्स वहां नहीं दिखते हैं। वे जो दूरदर्शन के चैनल्स हैं, उसमें स्पोर्ट्स के और अन्य चैनल नहीं दिखते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने कहा कि हमें क्रिकेट देखना है। वे कहते हैं कि बाकी सभी क्षेत्रों में केबल चैनल्स हैं, लेकिन हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में केबल वाले नहीं हैं, इसलिए दूरदर्शन पर आना चाहिए, यह उनकी डिमांड है। इसके लिए चैनल ऑपरेटर को कहा गया तो अगर हमें डिसकवरी चाहिए, मराठी का चैनल चाहिए, मुम्बई, दिल्ली या कहीं देहात में चाहिए, तो ऑपरेटर इसके लिए ज्यादा डिमांड करते हैं जैसे हमें लगता है कि 'सुदर्शन' चैनल देखना चाहिए, लेकिन सुदर्शरन वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे हमें उनसे देने पड़ते हैं। इसको कोई नियम आधार आपने बनाया है क्या? इसी तरह से केबल टीवी वाले किसी से 250 रुपये महीना लेते हैं, किसी से 400 रुपये लेते हैं और किसी से 300 रुपये लेते हैं। इसके लिए क्या कोई नियम बन गया है, यही मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती अम्बिका सोनी : महोदया, 1995 में केबल रेगुलेटरी एक्ट बना था। उसके तहत पूरे केबल नेटवर्क को गवर्न करने की बातें रखी गई हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि दूरदर्शन पर हर स्पोर्टिंग ईवैन्ट देखने की लोगों की अभिलाषा है। लेकिन कुछ नियम इसके लिए निर्धारित किये गये हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं, जहां भारत भाग ले रहा है, वे दूरदर्शन पर दिखाए जाएंगे और दूरदर्शन जहां दूसरी जगह बिड करता है, वे चैनल केबल नेटवर्क पर दिखाए जाएंगे। हर स्पोर्टिंग ईवैन्ट में दूरदर्शन बिड नहीं करता, लेकिन जहां प्रसार भारती द्वारा तय किया जाए कि ये राष्ट्रीय खेल हैं और राष्ट्र उसमें भाग ले रहा है, तब ही दिखाए जाते हैं, हर खेल नहीं दिखाया जाता। 1995 का एक एक्ट है और 2008 में टेलीकॉम रैगुलेटरी अथॉरिटी ने बहुत से सुझाव और रिकमंडेशन्स दिये हैं इस रैगुलेटरी एक्ट में संशोधन लाने के लिए। उनमें कई ऐसे सुझाव हैं जिनको पूरा करने के लिए कुछ व्यवस्था बनाने की जरूरत है। हम इसी सिलसिले में आगे कदम ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी एक कंप्रिहैन्सिव केबल रेगुलेटरी एक्ट सदन के सामने लाएंगे।

श्री चंद्रकांत खैरे : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने संशोधन के लिए जो संबंधित प्रस्ताव भेजा है, आपने कहा कि जब कोई निर्णय लिया जाएगा तो उस समय राज्य सरकार द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान भी रखा जाएगा। यह निर्णय कब लिया जाएगा? उसको आप कोई टाइमबाउंड रूप में करेंगे?

श्रीमती अम्बिका सोनी : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि 2008 में जो सुझाव ट्राई की तरफ से रखे गए हैं, उसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया हुआ सुझाव जो प्रिंसिपल तरीके से एंटरटेनमैंट टैक्स से संबंधित है कि केबल ऑपरेटर्स सबस्क्राइबर्स की सही सूची नहीं रखते। इसलिए उनसे पूरा एंटरटेनमैंट टैक्स वसूल करना संभव नहीं होता है। यह महाराष्ट्र सरकार की चिट्ठी थी। अब मैं इसमें दो बातें कहना चाहती हूं। वित्त मंत्री ने अगले साल से जीएसटी का ऐलान किया है। उसमें एंटरटेनमैंट टैक्स सबस्यूम हो जाएगा लेकिन उसके अलावा 2008 में जो सुझाव ट्राई ने दिये थे, उसके बाद से इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। 2010 से हम लोग डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ही समय में, एक निर्धारित समय के अंतर्गत हम सदन के सामने पूरा डिजिटलाइजेशन का प्लान रख सकेंगे।

श्री शरीफुद्दीन शारिक : ऑनरेबल स्पीकर मैडम, मैं ऑनरेबल मंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा कि देखने में आया है और सब लोगों की आम राय है कि दूरदर्शन का मेयार गिर रहा है और गिर गया है। जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, यह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी राय यह है कि इसके प्रोग्राम्स का मेयार प्राइवेट चैनल्स के बनिस्बत बहुत ही कमजोर होता है। साथ ही एक कारण शायद यह भी है कि वहां बहुत से मुलाजमीन की जगहें खाली हैं जिनको बड़ी देर से भरा नहीं गया है। अपने मजामीन के माहरीन प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। क्या इन बातों की जैरे नजर रखकर मंत्री जी सारे सूरते हाल का दोबारा जायजा लेकर इसकी सूरत बहाल करलेंगे, वरना दूरदर्शन आखिरी दम ले रहा है। मैं कश्मीरी चैनल की बात कर रहा हूं, इतने घटिया प्रोग्राम होते हैं कि देखने का दिल ही नहीं करता है। क्या मंत्री जी इसकी तरफ तवज्जो देंगी?